

कार्यालय:-जिला कार्यक्रम अधिकारी, महाराजगंज।

पत्रांक C-1455/जि0का0का0/आं0बा0भर्ती/2025-26 दिनांक 13 नवम्बर,2025

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0 2025/3313/58-1-2025 (1917687)/ दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद महाराजगंज के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	सहायिका के कुल रिक्त पद	आरक्षण की श्रेणी			
			अनारक्षित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1	घुघली	74	37	18	18	01
2	-शहर	23	14	6	1	2
3	मिठौरा	81	42	24	14	1
4	निचलौल	111	54	29	27	1
5	परतावल	68	35	16	14	3
6	धानी	27	13	10	4	0
7	लक्ष्मीपुर	77	38	21	18	0
8	बृजमनगंज	34	16	9	6	3
9	फरेन्दा	121	60	32	28	1
10	पनियरा	120	60	36	22	2
11	नौतनवां	77	36	19	21	1
12	सदर	135	70	35	29	1
13	सिसवां	88	48	23	16	1
कुल रिक्त पदों की सं0		1036	523	278	218	17

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड, बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. रिक्त पदों (आंगनबाड़ी सहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष तथा अधिकतम परास्नातक होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01.07.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

5. चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी।

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता क्रम में ही-

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला।

उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

6. प्रमाण पत्रों की मान्यता-

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश।
- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। इस शासनादेश के अनुसार वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा ₹0-46080.00 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में ₹0-56460.00 वार्षिक होगी।

- निवास व जाति तथा आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

7. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन सही-सही व सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र

ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे, यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आकड़े शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

8. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि-06 दिसम्बर, 2025 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
9. एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका पद पर नहीं की जायेगी।
10. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर भी उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से कार्य दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
11. रिक्तियों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।


(दुर्गेश कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महराजगंज।

पृष्ठांकन संख्या

/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उत्तर-प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, महराजगंज की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, महराजगंज।
4. जिला सूचना अधिकारी महराजगंज।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद महराजगंज को इस आशय से कि तहसील के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद महराजगंज को इस आशय से कि विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद महराजगंज को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापित पदों का पूर्ण विवरण सहित अन्य जानकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. सम्वाददाता दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान महराजगंज को इस आशय से कि अपने दैनिक समाचार पत्र के अंक में न्यूनतम दर पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर बिल 02 प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी, महराजगंज से सत्यापित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महराजगंज।